

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभु शरण मा०प्र०से०,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

द्वारा:- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक- 08/09/2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में आयुर्वेदिक कॉलेज, बेगूसराय में इंटर्नशिप कर रहे छात्र/छात्राओं के छात्रवृत्ति/वजीफा भुगतान हेतु कुल रू० 50,00,000/- (रूपये पचास लाख) मात्र के व्यय के निमित्त स्वीकृति ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय संकल्प संख्या-125(1), दिनांक- 20.02.2014 एवं संकल्प संख्या-776(1), दिनांक-29.11.2023 एवं समय-समय पर निर्गत विभिन्न स्वास्थ्य विभागीय संकल्पों के आलोक में वित्तीय वर्ष 2026-27 में आयुर्वेदिक कॉलेज, बेगूसराय में इंटर्नशिप कर रहे छात्र/छात्राओं के छात्रवृत्ति/वजीफा भुगतान हेतु कुल रू० 50,00,000/- (रूपये पचास लाख) मात्र के व्यय के निमित्त स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) इस पर होने वाले व्यय का वहन मांग सं०-20 के अंतर्गत स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय बजट मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उप मुख्यशीर्ष-05-चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान, लघु शीर्ष-101- आयुर्वेद, उपशीर्ष-0001- आयुर्वेदिक कॉलेज, बेगूसराय विपत्र कोड-20-2210-05-101-0001 अंतर्गत छात्रवृत्ति/वजीफा (34-01) मद में बजट उपबंध/अनुपूरक आगणन के माध्यम से प्राप्त राशि से विकलनीय होगा।

(3) इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्राचार्य, आयुर्वेदिक कॉलेज, बेगूसराय होंगे एवं नियंत्री पदाधिकारी, क्षेत्रीय अपर निदेशक, मुगेर प्रमंडल, मुगेर होंगे।

(4) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वित्त विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के अद्यतन परिपत्रों के आलोक में राशि की निकासी विहित प्रपत्र के माध्यम से करते हुए संबंधित छात्रों को उपलब्ध करायेंगे।

(5) राशि की निकासी जिला कोषागार, बेगूसराय से की जायेगी।

(6) इसमें सचिव, स्वास्थ्य विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

(7) यह स्वीकृत्यादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561/वि(2), दिनांक-17.04.1998 के प्रावधानों के अधीन निर्गत किया जा रहा है।

(8) वित्त विभाग द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में व्यय की गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र नियमानुसार BTC Form-42A पर तैयार करते हुए महालेखाकार, कार्यालय, बिहार, पटना को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(9) प्रारूप में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं०- सं०-7/ आ०कॉ०-36-03/2026-27 के पृष्ठ- 14 /टि० पर प्राप्त है।

(10) यह मात्र स्वीकृत्यादेश है, आवंटित राशि CFMS के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा।

(11) संबंधित प्रस्ताव में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वसभाजन,

8.9.26

(शंभु शरण)

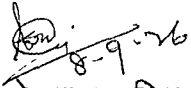
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:- 7 / आ0कॉ0-36-03 / 2026-27.....361(78)/स्वा0, पटना, दिनांक:-08/09/2026

प्रतिलिपि:—वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना / प्रमडलीय आयुक्त, मुंगेर प्रमडल, मुंगेर / जिला पदाधिकारी, बेगूसराय / क्षेत्रीय अपर निदेशक, मुंगेर प्रमडल, मुंगेर / कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, बेगूसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:—प्राचार्य, आयुर्वेदिक कॉलेज, बेगूसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:—माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव / सचिव के प्रधान आप्त सचिव / निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ / प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-07बी एवं संबधित सहायक प्रशाखा पदाधिकारी / आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के अपर सचिव
Hul